न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार, आर.ए.एस

**रा.वाद सख्यां 69 / 2017**

| **वादीगण** | **बनाम** | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| 1– अब्दुल समद पुत्र अब्दुल सत्तार<br>2– अब्दुल समीर खान पुत्र अब्दुल सत्तार<br>3– अब्दुल वहीद खान पुत्र अब्दुल सत्तार<br>4– अब्दुल सईद खान पुत्र अब्दुल सत्तार<br>सभी आयु व्यस्क जाति मुसलमान<br>निवासीयान सिरोही हाल<br>इस्लामिया स्कूल के पास जोधपुर<br>तहसील जोधपुर जिला जोधपुर | | 1– स्टेट जरिये जिला कलेक्टर सिरोही<br>2– स्टेट जरिये तहसीदार सिरोही<br>3– कमलसिंह पुत्र देवीसिह जाति जाति राजपूत निवासी वेरापुरा तहसील व जिला सिरोही |

**उपस्थित –**
1 श्री प्रमोद कुमारजी दवे, अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भैरूपाल सिंह बालावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्यां 3
3 पेरोकार सरकार प्रतिवादी सख्यां 1 व 2

प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सी.पी.सी. के तहत

दिनांक 29.08.2019

## आदेश

इस न्यायालय मे विचारण वाद की सुनवाई के दौरान श्री भेरूपालसिंह वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 25.06.2018 को वादपत्र का जवाब पेश किया था एवं उसी समय एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 24.06.1968 को देवीसिंह, गणपतसिंह, मूलसिंह पिसरान चैनसिंह ने जरिये पंजीकृत बेचान के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। खातेदार देवीसिंह का स्वर्गवास होने से उनके वारीसान प्रतिवादी सख्यां 03 व पत्नि व पुत्री के नाम नामान्तरण भरा गया है। खातेदार योगिता कंवर पुत्र देवीसिंह एवं दाडम कंवर पत्नि देवीसिंह द्वारा अपना अपना खातेदारी हक हिस्सा प्रतिवादीगण सख्यां 03 कमलसिंह के नाम हक तर्क करने पश्चात उक्त हक तर्क का नामन्तरण भी नियमानुसार प्रतिवादी सख्यां 03 कमलसिंह के नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजी के वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सख्यां 03 कमलसिंह व गणपत सिंह मूलसिंह पिसरान चैनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

खातेदार गणपतसिंह, मूलसिंह उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार थे परन्तु वादीगण ने जानबुझकर उन्हे बतौर प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया है। जिससे वादीगण का यह

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

वाद पक्षकरो के असयोजन से दूषित होने से विधि में अपरिपोषणीय होने से खारीज किये जाने काबिल है।

प्रतिवादी सख्यां 3 ने कथन किया कि वादीगण द्वारा इसी आराजी के संबध में पूर्व में श्रीमान सहायक जिलाधीश महोदय सिरोही के न्यायालय में वर्ष 2000 में प्रतिवादी सख्यां 03 के पिता देवीसिंह गणपतसिंह मूलसिंह व अन्य के विरूद्व धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया था जिसका शीर्षक अफरोजा बेगम बनाम रहमत खां था जो वाद दिनांक 28.07.2003 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सिरोही के न्यायालय द्वारा वाद चलने याग्य नही होना मानते हुए खारीज किया है। वादीगण ने पूर्व में संस्थित उक्त वाद के तथ्यो को छुपाते हुए उसी आराजी एवं विषय वस्तु के सम्बन्ध खातेदारी की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विधि में रेस ज्यूडिकेटा से बाधित होने से चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी सख्यां 3 ने यह भी कथन किया है कि कब्जे की प्राप्ति हेतु विधि में वाद प्रस्तुति की समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित है। वादी द्वारा यह वाद अन्दर म्याद किस प्रकार पेश किया है स्पष्ट नही किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पद सख्यां 04 में वर्णित अभिवचन अनुसार वादीगण को वर्ष 1968 में कब्जे से बेदखल कर देवीसिंह, गणपतसिंह, मूलसिंह द्वारा आराजी पर कब्जा करना कथन किया है। वादीगण सख्यां 01 व 02 व उनकी माता अफरोजा बेगम ने इसी आराजी के सम्बन्ध में गणपतसिंह, मूलसिंह प्रतिवादीगण सख्यां 03 के पिता देवीसिंह व अन्य के विरूद्व वाद वास्ते धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वर्ष 2000 में न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश सिरोही में पेश किया था जो वाद अफरोजा बेगम बनाम रहमत खां के नाम से था। उक्त वाद को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सिरोही के न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2003 को खारीज किया है। जिसके वाद सख्यां 76/2002(11/2000) है। वादीगण ने उनके द्वारा पूर्व से संस्थित वाद के तथ्यो को छुपाया है और न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो नही आये है। वादीगण को पूर्व में प्रस्तुत वाद खारीज होने से हय वाद रेस ज्यूडिकेटा से बाधित होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.07.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि दिनांक 24.06.1968 को बेचान फर्जी है, क्योकि बेचनार पक्ष को बेचान करने का अधिकार नही था और इस कारण से प्रतिवादी सख्यां 3 कमल सिंह को वादग्रस्त सम्पति का अधिकार प्राप्त नही होता है। वादी का वाद पक्षकारो के नही होने से असंयोजन से दुषित नही है न ही दावा काबिल खारीज है। पूर्व वाद जो दिनांक 28.07.2003 को खारीज हुआ है, वह न तो मेरिट पर निर्णित हुआ है तथा न ही फाईनली निर्णित हुआ है। पूर्व के खारीज दावे के आधार पर उक्त वाद रेस ज्युडिकेटा से बाधित नही होता है। वादी अपने स्वामित्व के हक अधिकार हेतु कभी भी दावा ला सकता है, जिसके लिए कोई समय सीमा विधि में निर्धारित नही है। इस कारण प्रतिवादी सख्यां 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज कराना फरमावे। प्रतिवादी सख्यां 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

11 सी. पी. सी. में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया है उसी वादग्रस्त भूमि का वर्ष 2000 में वादीगण के पिता ने प्रतिवादी सख्यां 3 के पिता व अन्य खातेदारो के विरूद्व धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद इसी न्यायालय में पेश किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2003 को खारीज किया गया है। वादीगण ने पूर्व में संस्थित उक्त वाद के तथ्यो को छुपाते हुए वादग्रस्त आरजी की विषय वस्तु के संबध में उक्त वाद पेश किया है। जो वाद रेस जुडीकेटा के तहत विधि में बाधित होने से खारीज किये जाने के योग्य है। इसी के साथ प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि वादीगण ने प्रतिवादी सख्यां 3 के विरूद्व जो वाद पेश किया है उक्त वाद के अन्य सहखातेदार गणपत सिंह, मूलसिंह पिसरान चैनसिंह के नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया है, जबकि गणपत सिंह,
मूलसिह पिसरान चैनसिंह उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकेडेड खातेदार है एवं वादी ने सम्पूर्ण आराजी के विरूद्व धोषण एवं कब्जा प्राप्ति व आज्ञापक व्यादेश का उक्त वाद पेश किया है, जिस कारण से अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाने से उनके हित प्रभावीत होगे। जिस कारण से वादीगण द्वारा यह वाद पक्षकरो के असंयोजन से दूषित होने से विधि में अपरिपोषणीय होने से खारीज किये जाने के काबिल है। प्रतिवादी सख्यां 03 के अधिवक्ता ने यह कथन दोहराया कि विधि में कब्जे की प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने की समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित है। वादी द्वारा यह वाद अन्दर म्याद पेश नही किया है, क्योकि वादी ने अपने स्वयं के अभिवचनो में वाद पत्र के पृष्ट सख्यां 4 के 22वीं पक्ति में यह वर्णित किया है कि वादीगण को 24.06.1968 को जबरन बेदखल कर प्रतिवादीगण सख्यां 3 के पिता ने कब्जा कर लिया। प्रतिवादी सख्यां 03 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न विधिक दृष्टात पेश किया –**आरआरटी 2019 (1) पृष्ठ सख्यां 768 किशन सिंह बनाम जस्सुसिंह।** वादी ने प्रतिवादी की बहस का प्रतिउतर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2018 का जवाब दिनांक 22.07.2019 को देते हुए जवाब में लिखित कथनो को दोहराते हुए कहा कि वादी ने पूर्व में जो वाद प्रस्तुत किया था, वह न तो मेरिट पर निर्णित हुए है तथा न ही फाईनली ही निर्णित हुआ है। पूर्व में खारीज दावे के आधार पर उक्त वाद रेस जुडिकेटा से बाधित नही है। वादी ने अपने स्वामित्व हेतु वाद पेश किया है, जिस हेतु विधि में कोई समय सीमा निर्धारित नही है एवं न ही वादी का वाद पक्षकरो के नही होने से असंयोजन से दुषित नही है। न ही वाद दावा काबिल खारीज के है। प्रतिवादीगण सख्यां 01 व 02 की ओर से अपने जवाब में कथन किया कि मौजा पालडी पटवार मण्डल रामपुरा के खसरा नम्बर 522 से 524 व 532 से 535 कुल किता 07 का कुल क्षेत्रफल 5.18 हेक्टर है, रकबा 5.18 हेक्टर भूमि का बिधा विस्वा में कुल क्षेत्रफल 32 बीधा होता है। अपने जवाब में वादग्रस्त आराजी का कुटरचित दस्तावेज के जरिए बेचान होने को गलत बताया है, क्योकि उक्त वाद में वर्णित भूमि सन 1968 में बेचान की हुई है एवं तत्समय से खरीदार खातेदारो का कब्जा काश्त व विधुत सम्बन्ध है। तादापि वादीगण उक्त बेचान दस्तावेज के कुटरचित होने संबधि साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। वाद में वर्णित भूमि से संबधित मामला 1968 से है, जो काफी पुराना है। वादीगण द्वारा वर्ष 2016 में जबरन कब्जा का कथन बताया है, जो जांच पर गलत पाया जा रहा है। उपरोक्त जवाबदावे के साथ सलग्न पटवारी हल्का रामपुरा व भूअभिलेख

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०).

निरिक्षक रामपुरा की संयुक्त जांच फर्द तैयार की गई है। जो भी पत्रावली में सलग्न है।

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संबंध में प्रतिवादी सख्यां 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के साथ साथ वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं सम्पूर्ण पत्रावली का समानान्तर गहनता से अध्यन कर उस पर मनन किया। प्रतिवादी सख्यां 03 व वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर भी गहनता पूर्ण मनन किया।

वादी ने यह वाद प्रस्तुत करनं से पूर्व वर्ष 2000 में भी एक वाद इसी वादग्रस्त आराजी का इस न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त वाद दिनांक 28.07.2003 को इस न्यायालय द्वारा चलने योग्य नही होने से खारीज किया गया था। इसके बाद वादी ने करीब 14 वर्ष पश्चात उक्त वाद पेश किया है। इसके अलावा वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजी के तीन खातेदार है, जिसमें गणपत सिंह, मूलसिंह पिसरान चैन सिंह व प्रतिवादीगण सख्यां 3 कमलसिंह पुत्र देवीसिंह है, जिनका उक्त आराजी में 1/3, 1/3 हक हिस्सा आता है। वादीगण ने उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का घोषणा खातेदारी हेतु उक्त वाद पेश किया है। जबकि उक्त वाद में केवल मात्र एक खातेदार कमलसिंह को पक्षकार बनाया है। शेष खातेदारो को वाद में वादीगण ने पक्षकार नही बनाया है एवं न ही इस स्तर पर पक्षकार बनाने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र वादीगण ने वाद में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण सख्यां 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि "Recorded Khatedars are the necessary party and suit is liable to be dismissed for non joinder"हस्तगत दृष्टांत उक्त वाद पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। इस प्रकार वादीगण ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है, जो उक्तानुसार विधि में वर्जित है। दौराने सुनवाई वकील वादीगण ने भी अपनी बहस मे वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्तमान मे प्रतिवादीगण का कब्जा होना जाहिर किया है। वादी को यह चाहिए था कि वर्ष 2003 में जो वाद निर्णित हुआ है वह खारीज हुआ है जो कि गुणावगुण के आधार पर नही हुआ है तो वादी को रेस्टोर प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त वाद को रेस्टोर करवाते तथा यह वाद करीबन 14 वर्ष बाद यानि 12 साल की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद पेश हुआ है । जो चलने योग्य नही है तथा अन्य खातेदारों को पक्षकार नही बनाने के कारण यह वाद असंयोजन से ग्रसित है ।

अतः उपरोक्त सभी आधार पर प्रतिवादी सख्यां 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 धारा 11 सी.पी.सी. का स्वीकार योगय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल विचाराधीन राजस्व वाद वास्ते खातेदारी की धोषणा, कब्जा प्राप्ति व आज्ञापक व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण विधि विरूद्व व परिपोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)